कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1211 /FP/UK/ROAD/10583/2015 :देहरादून:दिनांक: 02 नवम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली के अन्तर्गत बौला–श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.32 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या– FP/UK/ROAD/10583/2015)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी / यूसीपी / 06 / 202 / 2015 / एफसी / 1222 दिनांक 11–10–2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 370 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 4,07,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 2,70,400.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 6,77,400.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation किये जाने के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि जमा करायी गयी है।
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक-4)
8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में सूचित करना है कि 370 वृक्षों के रोपण की योजना प्राप्त होने पर भारत सरकार को शीध्र प्रेषित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 1211 / FP/UK/ROAD/10583/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि शर्त संख्या–8 की अनुपालन आख्या यथाशीध्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली को इस आशय से प्रेषित कि शर्त संख्या–8 की अनुपालन आख्या यथाशीध्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक